30-3-2022

प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही ने यह प्रार्थना पत्र श्री गणेश पुत्र त्रिकमा, जाति– सरगडा, निवासी– रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही को ग्राम पीपीलकी के वर्तमान खाता संख्या 133 खसरा संख्या 320 रकबा 0.6500 हेक्टेयर किस्म बारानी–प्रथम भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ किया गया आवंटन निरस्त कराने हेतु राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में अप्रार्थी श्री गणेश पुत्र त्रिकमा, जाति– सरगडा, निवासी– रामपुरा को जारी नोटिस इस रिपोर्ट के साथ अदम तामिल प्राप्त हुआ कि अप्रार्थी की मृत्यु हो चुकी है। जिस पर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही को अप्रार्थी गणेश पुत्र त्रिकमा जी, जाति– सरगडा, निवासी– रामपुरा के विधिक वारिसान को रेकर्ड पर लेने हेतु आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार, सिरोही के पत्र क्रमांकःराजस्व/2022/82. दिनांक 27.01.2022 से इस न्यायालय को प्रेषित रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि मौके पर जाकर अप्रार्थी गणेश

......लगातार

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:35 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व निगरानी संख्याः 03/2020	नम्बर व तारिख अहकाम इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	के विविध वारिसान की जानकारी करने पर उपस्थित मौत बिरान, सरपंच व वार्ड सदस्यों ने गणेश पुत्र त्रिकमा सरगडा के वारिसान की जानकारी नही होना बताया। वर्तमान में उक्त व्यक्ति के कोई भी वारिस ग्राम में नही रहते है व न ही कोई जानकारी उक्त व्यक्ति के बारे में ग्राम में किसी व्यक्ति को होना बताया है। चूंकि तहसीलदार, सिरोही ने यह प्रार्थना पत्र मृत व्यक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत किया है एवं तहसीलदार, सिरोही ने उक्त पत्र दिनांक 27.1.2022 में मृतक अप्रार्थी गणेश पुत्र त्रिकमा जी, जाति– सरगडा, निवासी– रामपुरा के विधिक वारिसान के बारे में जानकारी नही होना बताया है। ऐसी स्थिति में, मृत व्यक्ति के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नही है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार, सिरोही को निर्देशित किया जाता है कि मृतक अप्रार्थी गणेश पुत्र त्रिकमा, जाति– सरगडा, निवासी– रामपुरा के विधिक वारिसानों के संबंध में जानकारी करके उसके वारिसान को पक्षकार बनाते हुए पुनः नये सर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (के.आर.खौड़) अति. जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:35 IST
Reason: SelfAttested